संख्या: 12/2021/1984 /49-3-2021-100(35)/2019

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2021

विषय: पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत ब्याज अनुदान मद में स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-111/लेखा-अ, दिनांक 29.07.2021 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व पक्ष में ''प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान मद'' में प्राविधानित धनराशि ₹40000.00 लाख में से शासन के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2021 द्वारा धनराशि ₹ 20000.00 लाख की निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में ''प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान मद'' में प्राविधानित धनराशि ₹40000.00 लाख के सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2021 द्वारा धनराशि ₹ 20000.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। शेष धनराशि ₹ 20000.00 लाख के सापेक्ष ₹10000.00 लाख की राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।
(2) धनराशि के व्यय के दौरान योजना से संबंधित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) धनराशि के व्यय के दौरान वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता का अनुपालन किया जायेगा।
(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यथा आवश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन मद/कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी है, उसी मद/कार्य में व्यय की जायेगी। निर्धारित मद/कार्य से इतर व्यय अनुमन्य न होगा।
(6) योजना हेतु निर्धारित ब्याज दर पर फसली ऋण की प्रतिपूर्ति समय से सुनिश्चित न होने पर अतिरिक्त देयता यदि निर्धारित होती है, तो उसके वहन किये जाने का दायित्व विभाग का होगा।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य उत्तरवर्ती संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता (राजस्व), 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 10-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान, 27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

उक्त शासनादेश सहकारिता अनुभाग-3 की भौतिक पत्रावली संख्या: 100(35)/2019 द्वारा पूर्व में शासनादेश संख्या: 12/2021/1984 (1)/ 49-3-2021-100(35)/2019, दिनांक 30.07.2021 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इस शासनादेश यथावत् पढ़ा जाए।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 12/2021/1984 (1)/ 49-3-2021-100(35)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) वेब मास्टर, कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।